न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश चमोली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–23 / 2022

उत्तराखण्ड राज्य प्रति बलवीर सिंह आदि।।

11.02.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी उपस्थित आए।

अभियुक्तगण बलवीर सिंह एवं मुकेश अनुपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हेम पुजारी व श्रीमती कल्पना उपस्थित आए, उनके द्वारा अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या–186ख पेश किया गया। अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र आज के लिए स्वीकार।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या–187ख पेश कर कथन किया कि साक्षी एस0आई0 नवीन नेगी, थाना खानपुर, हरिद्वार को समन जारी कर तलब किया गया था। साक्षी आज उपस्थित नही। साक्ष्य हेतु एक तिथि की याचना की गयी। स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना। साक्षी एस0आई0 नवीन नेगी को पुनः समन जारी किया जाए। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि साक्षी एस0आई0 नवीन नेगीको नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 06.03.2026 को पेश हो।

(बिन्ध्याचल सिंह)
विशेष सत्र न्यायाधीश
चमोली।